

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 25/2020 सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

सा.का.नि....(अ) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में दी गई तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों को कालम (3) में दी गई प्रविष्टियों से उसमें निहित विनिर्दिष्ट तरीके से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :

सारणी

| क्र.सं. | अधिसूचना संख्या और तारीख | संशोधन |
|---------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | सं.91/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009 [सा.का.नि. 657 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009] | उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में "दिघी" शब्द को "दिघी, गोपालपुर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 2. | सं.92/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009 [सा.का.नि. 658 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009] | उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में "दिघी" शब्द को "दिघी, गोपालपुर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 3. | सं.93/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009 [सा.का.नि. 659 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009] | उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में "दिघी" शब्द को "दिघी, गोपालपुर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 4. | सं.94/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009 [सा.का.नि. 660 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009] | उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में "दिघी" शब्द को "दिघी, गोपालपुर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 5. | सं.95/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009 [सा.का.नि. 661 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009] | उक्त अधिसूचना में, शर्त (iv) में "दिघी" शब्द को "दिघी, गोपालपुर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 6. | सं.96/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर 2009 [सा.का.नि. 662 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009] | उक्त अधिसूचना में, शर्त (vii) में "दिघी" शब्द को "दिघी, गोपालपुर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। |

| | | |
|-----|---|--|
| 18. | सं.22/2013-सीमा शुल्क, दिनांक 18 अप्रैल 2013 [सा.का.नि. 248 (अ), दिनांक 18 अप्रैल 2013] | उक्त अधिसूचना में तालिका 2 में, क्र.सं. 1 के आगे "दिघी" शब्द को "दिघी, गोपालपुर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 19. | सं.23/2013-सीमा शुल्क, दिनांक 18 अप्रैल 2013 [सा.का.नि. 249 (अ), दिनांक 18 अप्रैल 2013] | उक्त अधिसूचना में तालिका 2 में, क्र.सं. 1 के आगे "दिघी" शब्द को "दिघी, गोपालपुर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| 20. | सं.16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल 2015 [सा.का.नि. 252 (अ), दिनांक 1 अप्रैल 2015] | उक्त अधिसूचना में तालिका 2 में, क्र.सं. 1 के आगे "दिघी" शब्द को "दिघी, गोपालपुर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। |

(फा.सं.609/55/2018-डीबीके)

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक (प्रतिअदायगी)

नोट :

- (1) प्रधान अधिसूचना सं. 91/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 657 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के तहत प्रकाशित किया गया और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 3/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 12 जनवरी, 2018 सा.का.नि. 22 (अ) के तहत किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 12 जनवरी, 2018 को प्रकाशित किया गया था।
- (2) प्रधान अधिसूचना सं. 92/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 658 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के तहत प्रकाशित किया गया और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 3/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 12 जनवरी, 2018 सा.का.नि. 22 (अ) के तहत किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 12 जनवरी, 2018 को प्रकाशित किया गया था।
- (3) प्रधान अधिसूचना सं. 93/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 659 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के तहत प्रकाशित किया गया और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 3/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 12 जनवरी, 2018 सा.का.नि. 22 (अ) के तहत किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 12 जनवरी, 2018 को प्रकाशित किया गया था।

